रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 698] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2005/आषाढ़ 15, 1927
No. 698] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2005/ASADHA 15, 1927

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2005

का.आ. 957(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने स्थाई सलाहकार समिति द्वारा उसको की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद, दिनांक 28 सितम्बर, 2004 के आदेश का.आ. 1057(अ) द्वारा यह निदेश दिया था कि उक्त आदेश की अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट मदों को उनकी आपूर्ति अथवा वितरण करने के लिए उक्त अनुसूची के कालम (3) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार न्यूनतम प्रतिशत में पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।

अत: अब केन्द्रीय सरकार पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि 30 जून, 2005 को समाप्त होने वाले उपर्युक्त आदेश की वैधता, 31 जुलाई, 2005 तक या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

[फा. सं. 9/4/2005-पटसन]

सुदृप्त राय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य आदेश दिनांक 28 सितम्बर, 2004 के संख्या का.आ. 1057(अ) के तहत प्रकाशित हुआ है।

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 6th July, 2005

S.O. 957(E).—Whereas, the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, had directed by Order S.O. 1057(E) dated 28th September, 2004, regarding commodities specified in Column 2 of the Schedule of that order, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum such percentage, as specified in the corresponding entries in Column (3) of the said Schedule;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that the validity of aforesaid order expiring on 30th June, 2005 shall be extended until 31st July, 2005 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/4/2005-Jute]

SUDRIPTA ROY, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal order is published *vide* No. S.O. 1057(E), dated 28th September, 2004.

2022 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.